उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ शासन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

क्रियान्वयन सत्र 2024–25

प्रायः पूछे गए प्रश्न, दिनांक 12.07.2024

प्रश्नः कला/विज्ञान/वाणिज्य के विद्यार्थी द्वारा **DSC** के रूप में चयनित तीन विषयों के अतिरिक्त उसी संकाय में अपलब्ध अन्य विषयों में से एक विषय जेनेरिक इलेक्टिव **(GE)** ले सकते हैं क्या? यदि नही ंतो क्यों?

उत्तरः नहीं ले सकते है। क्योंकि किसी संकाय में सम्मिलित विषयों की प्रकृति प्रायः समरूप होती है तथा मल्टीडिसिप्लिनरी अवधारणा के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानानुसार समग्र ज्ञान हेतु अन्य संकायों के विशयों का अध्ययन जेनेरिक इलेक्टिव **(GE)** कोर्स के रूप में किया जाना है।

विद्यार्थी जिस संकाय में उपाधि प्राप्त करने हेतु प्रवेश लिया है, उसमें स्वेच्छा से अधिकतम तीन विषयों का चयन कर लिया है, अतः मल्टीडिसिप्लिनरी अवधारणा के अनुरूप अतिरिक्त ज्ञानार्जन हेतु उन्हें अन्य संकायों से इच्छाकृत विषयों का चयन जेनेरिक इलेक्टिव **(GE)** कोर्स के रूप में करना है, जिसका लाभ/उपादेयता भविष्य/प्रतियोगी परीक्षाओं में प्राप्त होगा।

उल्लेखनीय है कि पूर्व के शिक्षा नीति अनुसार संचालित पाठ्यक्रम अन्तर्गत किसी संकाय में अध्ययनरत विद्यार्थी को अन्य संकायों के विषयों का अध्ययन कर पाने का प्रावधान नहीं था, परिणामतः स्नातक उपाधि प्राप्त करने के उपरान्त रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं में कठिनाईयों का सामना करना पडता था। वर्तमान प्रावाधान में जेनेरिक इलेक्टिव **(GE)** कोर्स के अध्ययन से साईसं के विद्यार्थी को सोसल साईसं का तथा कला/वाणिज्य के विद्यार्थी को जेनेरल साईसं एवं कम्प्यूटर यथेष्ट ज्ञान प्राप्त हो सकेगा।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स का समूह **(Pool of GE)** विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को प्रेषित कर दिया गयाा है।

प्रश्नः यदि महाविद्यालय में एक हीं संकाय संचालित है, तो विद्यार्थी द्वारा **GE** के रूप में अन्य संकाय का विषय कैसे लिया जा सकता है?

उत्तरः उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एकल संकायी महाविद्यालयों को चिन्हांकित कर विश्वविद्यालय से विमर्श किया जा रहा है, समुचित समाधान सहित प्रक्रिया यथाशीघ्र सूचित किया जायेगा।

प्रश्नः विद्यार्थी को **GE** के रूप में अन्य संकाय का विषय, विशेषकर कला संकाय के विद्यार्थी के लिये विज्ञान संकाय का विषय कठिन होंगे, इसका क्या उपाय है?

उत्तरः विषय चयन करने से पहले जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स समूह **(Pool of GE)** में उपलब्ध सभी विषयों के कोर्स करिकुलम से विद्यार्थीयों को भलिभॉति अवगत होना चाहिए। समस्त विषयों के **GE-01** कोर्स तथा **DSC-01** कोर्स एक समान है, जिसमें उक्त विषय के आधारीय स्तर **(Basic level)** / परिचयात्मक **(Introductory)** विषय–वस्तु एवं विषय सम्बन्धित भारतीय ज्ञान परम्परा युक्त तथ्यों को समाहित किया गया है, जो विद्यार्थी के लिये कठिन नहीं अपितु रोचक होना संभावित है। साथ हीं विद्यार्थीयों को अपने रूचि, क्षमता एवं **Future prospect** के विचार से इच्छाकृत जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स का चयन करना है। स्वेच्छा से चयनित विषय के अध्ययन में कठिनाई नहीं होंगी। इसके बावजूद भी विद्यार्थी को यदि कोई समस्या हो तो उसका समाधान सम्बन्धित महाविद्यालय के विषय– शिक्षको द्वारा, विशेषकर सतत् आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से, द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, विद्यार्थीयों को यदि कोई भी समस्या हो तो उक्त प्रकोष्ठ के संयोजक/सदस्यों से सम्पर्क करेंगे।

प्रश्नः वैल्यू एडिशन कोर्स **(VAC)** में प्रायोगिक कक्षाएँ भी होगी क्या?

उत्तरः नहीं, वैल्यू एडिशन कोर्स **(VAC)** में प्रायोगिक कक्षा या प्रायोगिक परीक्षा नहीं होंगी, यद्यपि विषय–वस्तु विशेष के परिप्रेक्ष्य में एसाइंमेन्ट कार्य के तहत आवश्यकतानुरूप प्रयोगशाला/उपकरण अवलोकन अथवा फिल्ड विजिट कराया जाना उचित होगा।

प्रश्नः स्किल एन्हांशमेन्ट कोर्स **(SEC)** में प्रायोगिक कार्य होगा क्या?

उत्तरः हॉ, कोर्स के अनुरूप कौशल आधारित प्रायोगिक कार्य/क्षेत्रीय कार्य/परफॉर्मेन्स कार्य अवश्य होंगे। उल्लेखित है कि 01 क्रेडिट के इस कोर्स की संरचना में हीं 01 क्रेडिट सैद्धतिक एवं 01 क्रेडिट प्रायोगिक कार्य/क्षेत्रीय कार्य/परफॉर्मेन्स कार्य सम्बन्धित विषय–वस्तु सम्मिलित किया गया है।

विदित है कि स्किल एन्हांशमेन्ट कोर्स **(SEC)** का अध्यापन द्वितीय सेमेस्टर मे होना है। प्रथम सेमेस्टर में वैल्यू एडिशन कोर्स **(VAC)** का अध्यापन किया जाना है। वैल्यू एडिशन कोर्स का समूह **(Pool of VAC)** प्रेषित किय जा चुका है। पाठ्क्रम संरचना के अनुसार वैल्यू एडिशन कोर्स **(VAC)** का अध्यापन प्रथम, तृतीय एवं पंचम् सेमेस्टर में किया जाना है, जहॉ कोई विद्यार्थी, प्रदत कोर्स का समूह **(Pool of VAC)** में से कोई कोर्स निर्धारित किसी सेमेस्टर में इच्छानुकुल ले सकतें है, परन्तु किसी एक कोर्स को दो बार नहीं ले सकते हैं।

प्रश्नः वैल्यू एडिशन कोर्स **(VAC)** एवं स्किल एन्हांशमेन्ट कोर्स **(SEC)** का अध्यापन अथवा **SEC** का प्रायोगिक कार्य कौन कराएंगे?

उत्तरः वर्तमान में प्रेषित वैल्यू एडिशन कोर्स का समूह **(Pool of VAC)** में सम्मिलित समस्त कोर्सेस महाविद्यालयों में संचालित विषयों से हीं सम्बन्धित एवं सामान्य अध्ययन जैसा है, जिसका समुचित अध्यापन संस्था में उपलब्ध शिक्षकों के द्वारा हीं किया जायेगा तथा द्वितीय सेमेस्टर में **SEC** का प्रायोगिक कार्य भी कराया जायेगा।

प्रश्नः क्या स्किल एन्हांशमेन्ट कोर्स **(SEC)** में छत्तीसगढ के कौशल को भी शामिल किया गया है?

उत्तरः उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस सत्र से लागू करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समस्त प्रावधानों को तीन चरणों में पूर्ण समावेशित करने का संकल्प लिया गया है।

वर्तमान सत्र के द्वितीय सेमेस्टर हेतु महाविद्यालयों में संचालित विषयों एवं तत्सम्बन्धित तकनीकीयों पर आधारित कौशल पाठय्चर्या को हीं स्किल एन्हांशमेन्ट कोर्स का समूह **(Pool of SEC)** में सम्मिलित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ के कौशल का आंशिक समावेश है। आगामी चरण/सत्र में छत्तीसगढ के कौशल को पूर्णतः शामिल किये जाने की योजना है।

प्रश्नः भारतीय ज्ञान प्रणाली को किस रूप में करिकुलम फ्रेमवर्क में शामिल किया गया है?

उत्तरः प्रायः समस्त विषयों के 100 लेवेल के कोर्स **(Fundamental course for I & II Semester)** में आंशिक रूप से भारतीय परम्परागत ज्ञान एवं संस्कृति को समाहित करने का प्रयास किया गया है। आगामी चरण/सत्र में पूर्णतः शामिल करने तथा तत्सम्बन्धित कोर्स सम्मिलित किये जाने की योजना है।

प्रश्नः इलेक्ट्रॉनिक्स, सेरिकल्चर एवं टसर टेक्नॉलॉजी विषयों को विषय समूह में नहीं रखा गया है तथा करिकुलम अप्राप्त है, इसका क्या प्रावधान है?

उत्तरः वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स विषय का सेटअप नहीं है, सेरिकल्चर एवं टसर टेक्नॉलॉजी विषयों में पदस्थापना नहीं है। यथाशीघ्र सेटअप एवं पदस्थापना की व्यवस्था करते हुए आगामी चरण/सत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेरिकल्चर एवं टसर टेक्नॉलॉजी विषय शामिल किया जायेगा। इस सत्र के लिये उसके स्वीकृत सीट संख्या, मूल संकाय हेतु स्वीकृत सीट संख्या में सम्मिलित कर प्रवेश दिये जाने हेतु प्रावधान किया जा रहा है।

प्रश्नः संस्कृत प्राच्य/शास्त्री का करिकुलम अप्राप्त है, इसका क्या प्रावधान है?

उत्तरः वर्तमान सत्र से बी.ए., बी.कॉम, बी.एस.सी., बी.सी.ए., बी.एस–सी. गृह विज्ञान एवं बी.बी.ए. पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गया है। आगामी चरण/सत्र से संस्कृत प्राच्य, संस्कृत शास्त्री, बी.पी.ई आदि पाठ्यक्रम शामिल किये जाने की योजना है।

प्रश्नः क्या प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के क्रमशः सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा के आधार पर कोई रोजगार प्राप्त हो पायेगा?

उत्तरः वर्तमान व्यवस्था अन्तर्गत सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा के आधार पर सीधे कोई रोजगार प्राप्त होने का प्रावधान नहीं है, यद्यपि रोजगार में सहायक सिद्ध हो सकता है स्वरोजगार को बढावा मिलेगा। छत्तीसगढ प्रदेश के साथ हीं भारत के अनेक राज्यों में राश्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किये गए है, जहॉ आगामी वर्शो में सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा धारक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु प्रदेश एवं भारत सरकार द्वारा निःसंदेह प्रयास किया जायेगा।

प्रश्नः किसी महाविद्यालय मे जो विषय नहीं है उसे विद्यार्थी पढना चाहे तो क्या प्रावधान है?

उत्तरः यद्यपि वर्तमान मे कोई प्रावधान नहीं है, तथापि आगामी चरण/सत्र में उक्त प्रवधान को लागू करने की योजना है।

===== *****=====